



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20082026-275613
CG-MH-E-20082026-275613

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4368]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2026/श्रावण 26, 1948

No. 4368]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2026/SHRAVAN 26, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 11 अगस्त, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20E के तहत

का.आ. 4548(अ) .— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 31 दिसम्बर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 6122 (E) तारीख 23 दिसम्बर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "मध्य रेल - 3000 मीट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए भुसावल-खंडवा खंड के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एव भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात “दैनिक भास्कर” व “दैनिक नई दुनिया” में तारीख 20-05-2026 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले के अंतर्गत 01 गाँव का विशेष रेल परियोजना “मध्य रेल - 3000 मीट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए भुसावल-खंडवा खंड के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	गाँव का नाम	तहसील	प.ह.न.	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल/ कुल रकबा (हे.आर.)	अर्जनिय भूमी का क्षेत्रफल (हे.आर.)	भूमि का प्रकार (सिंचित/ असिंचित)	7/12 अनुसार भूधारक का नाम
1	बिरोदा	बुरहानपुर	01	1429	0.720	0.2420	सिंचित	संध्या नारायण भिरडे
2			01	1424	0.760	0.2610	सिंचित	सुनीताबाई विनोद
3			01	1423	0.500	0.2290	सिंचित	नेहा गेंदालाल महाजन
				कुल	1.9800 (हे.आर.)	0.7320 (हे.आर.)		

[फा. सं. G197/BSL-KNW Section/Biroda Vlg/Burhanpur TSS/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 11th August, 2026

Under clause 20E of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4548(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 6122 (E) dated 23rd December 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated 31st December 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Central Railway- Upgradation work of Electric Traction System for Bhusawal-Khandwa Section to meet 3000 MT loading target”** in the district of **Burhanpur** in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in for **Sub-Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Burhanpur** in daily newspapers namely **“Dainik Bhaskar”** & **“Dainik Nayi Duniya”** Dated 20-05-2026 under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of **“Central Railway- Upgradation work of Electric Traction System for Bhusawal-Khandwa Section to meet 3000 MT loading target”** for 01 village in the **District Burhanpur** in the State of Madhya Pradesh.

SR. NO.	Village Name	Tehsil	P.H.N	Survey No.	Total Area (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)	Nature of Land (Irrigated/ Non-Irrigated)	Land Owners Name according to 7/12
1	Biroda	Burhanpur	01	1429	0.720	0.2420	Irrigated	Sandhya Narayan Bhirde
2			01	1424	0.760	0.2610	Irrigated	Sunitabai Vinod
3			01	1423	0.500	0.2290	Irrigated	Neha Gendalal Mahajan
				Total	1.9800 (Ha.)	0.7320 (Ha.)		

[F. No. G197/BSL-KNW Section/Biroda Vlg/Burhanpur TSS/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)